FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) जायल मुकाम

डोनाराम बनाम चुनाराम बगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र नं. 335/19 सन् 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24/10/19 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/11/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) जायल | |
| 26/11/19 | प्रार्थी वकील उप० / विप्रार्थीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये, जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाड़ डीपटर ड्यूटी कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/1/2020 को पेश हो। [initials] | |
| 15/1/2020 | [faint stamp] 11/2/2020 [initials] | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 17:39:36 IST
Reason: SelfAttested

11/2/2020 प्रार्थी वकील उप० / विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुन: प्राप्त नहीं हुई जिनको (30) दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई अधिवक्ता या अभिभावक या स्वयं कोई उप० नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेम सेम आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेतों के बीच जो पुराने मार्ग व धोरे आये हुए थे, जो वर्तमान में आंधियों की वजह से मिट गये है। जिस कारण प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। बरसात आने पर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के बीच खेतों को लेकर विवाद होता है प्रार्थी को अपने खेतों खेतों का सही ज्ञान करने हेतु अपने खातेदारी खेतो की पक्की पैमाइश करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमाइशी आवेदन स्वीकार किया जाकर, पैमाइशी आदेश किया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या अधिनस्थ भू० अ० निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइश मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसला शुदा होकर दर्ज रजिस्टर होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 17:39:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

# न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः– 11/02/2020

/वाद/2020/ 49

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

गेनाराम पुत्र गुमनाराम जाति जाट
निवासी उदरमाणियों की ढाणी

चुनाराम पुत्र धनाराम वगैरा
निवासी उदरमाणियों की ढाणी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

राजस्व आवेदन संख्या ........./2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा उदरमाणियों की ढाणी पटवार हल्का पूनियों का तला तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 685, 703/319, 709/341 रकबा क्रमशः 55.11, 22.17, 82.12 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

11.2.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः– 11/02/2020

क्रमांक/वाद/2020/ 50 to 54

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी पूनियों का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गेनाराम पुत्र गुमनाराम
4. विप्रार्थीगण चुनाराम पुत्र धनाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

11.2.2020

सहायक कलक्टर (SDO)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 17:39:36 IST
Reason: SelfAttested